



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 28332

F.11-Adm1072/21/2025-Admn-I/1810-1829

दिनांक: 10.09.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थायी भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय बरवाडीह (रेलवे), लातेहार जिला, झारखंड (संसदीय क्षेत्र - चतरा) दिसम्बर 2024 में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विद्यालय कोड	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय सत्र 2027-28 से संचालित किया जाएगा
2564	केन्द्रीय विद्यालय बरवाडीह (रेलवे), लातेहार जिला, झारखंड	केन्द्रीय विद्यालय बरवाडीह, बरवाडीह स्टेशन रोड, पुराना ए.टी.पी. रेलवे स्कूल, रेलवे क्वार्टर संख्या 45 के बगल में, बरवाडीह, जिला- लातेहार, झारखण्ड - 822111

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि और अस्थायी भवन के अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
3. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार।
5. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
9. निदेशक(केन्द्रीय विद्यालय संगठन), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन - 2, नई दिल्ली।

10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
12. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. मंडल रेल प्रबन्धक, पूर्व मध्य रेल, धनबाद तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति, केन्द्रीय विद्यालय बरवाडीह (रेलवे), लातेहार जिला, झारखंड को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय) रांची को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
17. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ।
19. अध्यक्ष/सचिव केन्द्रीय विद्यालय संगठन मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 28332

F.11-Adm1072/21/2025-Admn-I/1810-1829

Date: 10.09.2026

OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 27.12.2024, conveyed the approval of Government of India, for establishing 85 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Barwadih (Railway), District Latehar, Jharkhand in Parliamentary Constituency Chatra** is one of the 85 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in December 2024.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with effect from the session 2027-28 at the following location:

KV Code	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional from Academic Year 2027-28 at:
2564	Kendriya Vidyalaya Barwadih (Railway), District Latehar, Jharkhand	Kendriya Vidyalaya Barwadih, Barwadih Station Road, Old ATP School, Beside Quarter Number 45, Barwadih, Dist- Latehar, Jharkhand – 822111

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed according to the schedule of admission prescribed for the academic year 2027-28 after completion of all pending formalities of taking over of land and temporary accommodation, if any.

Deepesh

(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
2. PS to Hon'ble MoS (Education) – cum Joint Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Govt. of Jharkhand.
5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
8. Additional Commissioner (Acad), Kendriya Vidyalaya Sangathan.
9. The Director (KVS), MoE, Kartavya Bhawan - 2, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/ Pers), Kendriya Vidyalaya Sangathan.
11. Joint Commissioner (Acad), Kendriya Vidyalaya Sangathan Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.

12. The Superintending Engineer, Kendriya Vidyalaya Sangathan – for information and necessary action.
13. The Divisional Railway Manager, East Central Railway, Dhanbad and Chairman VMC, Kendriya Vidyalaya Barwadih (Railway), District Latehar, Jharkhand for information.
14. The Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Ranchi with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Director, Kendriya Vidyalaya Sangathan, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Assistant Commissioner (IT), Kendriya Vidyalaya Sangathan with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/ Estt. II/ Estt. III) for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, Kendriya Vidyalaya Sangathan Hqrs.
19. President/ General Secretary, Kendriya Vidyalaya Sangathan recognized Staff Associations.
20. Guard File.